सारांशिका

हिंदी साहित्य में उपन्यास ऐसी विधा है जिसमें मानव जीवन का सम्पूर्ण दर्शन व्यक्त होता है। स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों में मुस्लिम समाज की समग्रता को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। आजादी के पहले तक हिंदी साहित्य में विशेषकर उपन्यास जैसी सशक्त विधा में मुस्लिम रचनाकार और मुस्लिम समाज अनुपस्थित नज़र आता है। साठ के बाद हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में मुस्लिम रचनाकरों का आगमन होता है और यहीं से हिंदी उपन्यास में मुस्लिम समाज का सम्पूर्ण परिवेश अपने यथार्थ रूप में प्रस्तुत होता है। यहाँ साहित्यकार उस समाज की पीड़ा के साथ उपस्थित होते हैं जो हाशियाकृत है। यही कारण है कि मैंने अपने शोध-कार्य हेतु "स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन (1947-1975)" विषय का चयन किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किये गए हैं-

1. स्वातंत्र्योत्तर भारत की युगीन परिस्थितियों का अध्ययन साहित्य के विशेष सन्दर्भ में।
2. स्वातंत्र्योत्तर भारत के मुस्लिम समाज की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन।
3. स्वातंत्र्योत्तर भारत में मुस्लिम समाज की अस्मिता के प्रश्नों को उठाना एवं उसका अध्ययन करना।
4. आजादी के पूर्व तथा बाद के साहित्य में भारतीय मुस्लिम समाज का अवलोकन।

प्रस्तावित विषय पर जानकारी एकत्रित करने हेतु शोध गंगा एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के वेबसाइटों का अवलोकन किया गया। जिसमें मुझे विषय से संबंधित शोध-कार्य प्राप्त हुए परन्तु इस विषय पर अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है। इस विषय पर किए गए शोध-कार्यों की अद्यतन सूची इस प्रकार है-

1. हिंदी उपन्यास में व्यक्त साम्प्रदायिकता यशपाल, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही मासूम रज़ा के विशेष सन्दर्भ में: उवराज जादव इन्द्रजीत, 2016, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर परथ्वाडा विश्वविद्यालय

2. राही मासूम रज़ा के उपन्यासों का सांस्कृतिक अध्ययन: कुमार नवीन, 2017, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय

3. उपन्यासकार राही मासूम रज़ा: अर्जुन प्रसाद, 1994, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर परथ्वाडा विश्वविद्यालय

4. राही और शानी की उपन्यास-कला का तुलनात्मक अध्ययन: मृदुला शर्मा, 1995, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय

प्रस्तुत शोध-कार्य के सफल निष्पादन के लिए आलोचनात्मक, विश्लेष्णात्मक, समाजशास्त्रीय, वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक आदि शोध-प्रविधियों का प्रयोग किया है।

शोध-कार्य को कुल छः अध्यायों में विभक्त किया गया है-

1. हिंदी उपन्यास और मुस्लिम अस्मिता: इस अध्याय में हिंदी उपन्यास के विकास में मुस्लिम अस्मिता को रेखांकित करने की कोशिश की गई है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में मुस्लिम अस्मिता छिट-पुट रूप में दिखाई देती है। इन उपन्यासों में मुस्लिम पात्रों को अधिकांशतः खलनायक के रूप में ही चित्रित किया गया है। देवकीनंदन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी जैसे रचनाकारों के उपन्यासों का मुस्लिम पात्र विश्वासघात, चरित्रहीन हुआ करता है। परन्तु 'नि:सहाय हिन्दू' उपन्यास में लेखक ने साम्प्रदायिक सौहार्द को दिखाया है। प्रेमचंद युग एवं प्रेमचंदोत्तर युग में साहित्य की दिशा बदलती है। प्रेमचंद, यशपाल आदि लेखकों ने मुस्लिम पात्रों का यथार्थ रूप में चित्रण किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिंदी उपन्यास में मुस्लिम-जीवन का अंकन तेजी से हुआ है। विशेषकर साठ के बाद मुस्लिम समाज और उनकी समस्या हिंदी उपन्यास में चित्रित होती दिखाई देती हैं। दरअसल इस समय हिंदी साहित्य में शानी के रूप में

मुस्लिम उपन्यासकार का उदय हुआ। उन्होंने 'काला जल' उपन्यास की रचना की। पहली बार एक मुस्लिम उपन्यासकार ने हिंदी उपन्यास में मुस्लिम विमर्श को जन्म दिया। शानी के बाद ही राही मासूम रज़ा उर्दू से हिंदी में आते हैं और 'आधा गाँव' जैसी महान कृति की रचना करते हैं। इस कड़ी में बदीउज़्ज़माँ, इब्राहीम शरीफ़, मेहरुन्निसा परवेज़, नासिरा शर्मा, अब्दुल बिस्मिलाह, मंजूर एहतेशाम, असगर वजाहत जैसे कई बड़े साहित्यकार हिंदी में हुए।

2. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय परिदृश्य और मुस्लिम समाज: इस अध्याय को पाँच उप अध्यायों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है - आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, धार्मिक परिदृश्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। दूसरे अध्याय के प्रथम उपअध्याय में स्वातंत्र्योत्तर भारत का आर्थिक परिदृश्य और मुस्लिम समाज का आर्थिक परिदृश्य पर लेखन किया गया है। इस उपअध्याय के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि आजादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय रही है तथा किस प्रकार भारतीय राजनीति और आम जन के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है। जाहिर है कि जब देश की आर्थिक स्थिति ख़राब होती है तो उसका सीधा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता दिखाई देता है। मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं रह सका। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम समाज प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वह शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं जिसके कारण गरीबी और अधिक मात्रा में बढ़ रही है। दूसरे उपअध्याय में मुस्लिम समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है जिसमें इस समाज की राजनीति में औसत से कम भागीदारी नज़र आती है। सत्ता में भागीदारी कम होने के कारण भी इस समाज के विकास में अवरोध पैदा होता आ रहा है। मुस्लिम रचनाकारों की रचनाओं में भी मुस्लिम समाज राजनीतिक दृष्टिकोण की व्याख्या कम नज़र आती है। तीसरे उपअध्याय में सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा की गयी है जिसमें मुस्लिम समाज की आजादी के बाद की सामाजिक परिस्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। अन्य समुदायों की तरह मुस्लिम समाज में भी पुरानी रूढ़ परम्पराएँ, अन्धविश्वास, बहु-विवाह,

स्त्री-पुरूष संबंधों की विविधता, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता जैसी सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। चतुर्थ उपअध्याय में मुस्लिम समाज के धार्मिक परिदृश्य को रेखांकित किया गया है। इस्लाम धर्म का जन्म अरब में हुआ था। वहाँ से धीरे-धीरे विश्व के लगभग सभी देश में फ़ैल गया। भारत में भी इस्लाम धर्म को फलने-फूलने का बहुत अवसर मिला। आज भी भारत मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर दूसरे पायदान पर है। आजादी के बाद इस धर्म के मानने वालों को अनेक धार्मिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। इस अध्याय के पाँचवें उपअध्याय में सांस्कृतिक परिदृश्य पर बात की गयी है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुस्लिम समाज समृद्ध है। इनके यहाँ ईद, मुहर्रम, शबे बारात की फातिहा जैसे त्योहारों को धूम-धाम से मनाया जाता है।

3. स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकार और उनके प्रमुख उपन्यासों का संक्षिप्त विवरण:

तृतीय अध्याय को पाँच उपअध्यायों में विभक्त किया गया है जिसमें राही मासूम रज़ा, बदीउज़्ज़माँ, गुलशेर खाँ शानी, इब्राहीम शरीफ़ एवं मेहरुन्निसा परवेज़ जी का जीवन परिचय एवं उनके उपन्यासों का संक्षिप्त विवरण समाहित है। मेरे शोध-कार्य के अंतर्गत उपर्युक्त पाँच लेखकों को रखा गया है। इन रचनाकारों के द्वारा 1947-75 के मध्य लिखे गये साहित्य को इस शोध के आधार ग्रंथ के रूप में उपयोग किया गया है। किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने के लिए एक निश्चित कार्य-क्षेत्र और उसका सीमा-निर्धारण होना जरूरी होता है। अतः उसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम उपन्यासकारों पर शोध-कार्य करने को सुनिश्चित किया और एक निश्चित समय-सीमा तय किया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण वर्ष को ध्यान में रखते हुए शोध-कार्य की समय-सीमा को सुनिश्चित किया। इन वर्षों के बीच में पाँच प्रमुख मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। अतः केवल इन्हीं के उपन्यासों का अध्ययन मेरे शोध-कार्य में किया गया है। मैंने इन उपन्यासकारों के एक-एक प्रतिनिधि उपन्यासों को अपने अध्ययन-क्षेत्र में रखा है जो इस प्रकार है-

1. आधा गाँव (1966), राही मासूम रज़ा

2. छाको की वापसी (1975), बदीउज़्ज़माँ
3. काला जल (1965), शानी
4. अंधेरे के साथ (1972), इब्राहीम शरीफ़
5. आँखों की दहलीज़ (1969), मेहरुन्निसा परवेज़

4. स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों में मुस्लिम समाज के प्रश्न: इस अध्याय में मुस्लिम उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यासों का अध्ययन-विश्लेषण समाहित है जिसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिकता की समस्या, विभाजन की त्रासदी, अशिक्षा और आर्थिक दुरावस्था एवं स्त्री-जीवन के प्रश्न आदि समस्यायों को केंद्र में रखकर लेखन-कार्य किया गया है।

स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में विशेषकर विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यासों में साम्प्रदायिकता की समस्या और विभाजन की त्रासदी अधिक दिखाई पड़ती है। यह एक ऐसी समस्या है जो वर्तमान भारत में भी सक्रिय है। आजादी के कुछ वर्ष पहले से ही साम्प्रदायिकता की समस्या अपने चरम पर पहुँच चुकी थी। यही कारण था कि भारत को अविभाजित रख पाने में तत्कालीन बुद्धिजीवी असमर्थ रहे। यह सच है कि भारतीय कांग्रेस विभाजन के खिलाफ थी परन्तु लीगियों ने परिस्थितयों को बिल्कुल विपरीत बना दिया था। परिणामस्वरूप अंग्रेजों से जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण करवाने हेतु एवं भारत को अधिक क्षति होने से बचाने के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं नेहरू जी सहित तमाम कांग्रेसी ने यह फैसला लिया था कि पाकिस्तान का निर्माण हो जाने दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस फैसले को सही ठहराते हुए लिखते हैं कि "हमलोगों ने यह आखिरी कदम बहुत सोच-विचार के बाद उठाया है। विभाजन के संबंध में पहले अपने प्रबल विरोध के बावजूद मैं इससे अब सहमत हो गया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि भारत की एकता बनाए रखने के लिए इसे अब विभाजित हो जाना चाहिए।" (भारत का विभाजन, सरदार पटेल, सं. डॉ. प्रभा चोपड़ा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2021, पृष्ठ-193) राही मासूम रज़ा और तत्कालीन तमाम लेखक इन समस्यायों को अपने उपन्यासों में

जगह दी है साथ ही इसके जड़ को तलाशने की भी कोशिश की है। राही एक ऐसे लेखक थे जो साम्प्रदायिकता और विभाजन दोनों के विरोधी थे। उन्होंने अपने लगभग सभी उपन्यासों में साम्प्रदायिकता की समस्या को न केवल उजागर किया है बल्कि उसके साथ ही उन कारणों का भी पता लगाया है जो इसके मूल में है। राही का हमेशा से मानना रहा है कि गाँव के लोग हमेशा से एक साथ मिल-जुलकर ही रहते आ रहे हैं परन्तु उसमें साम्प्रदायिकता का ज़हर शहरों से आने वाले लोग ही फैलाते हैं। उन्होंने 'आधा गाँव' में इस बात का जिक्र किया है कि अलीगढ़ से आ कर मुस्लिम युवक गंगौली गाँव के साधारण व्यक्तियों को हिन्दुओं के विरुद्ध न केवल उकसाता ही है वरन पाकिस्तान को बनाने के पक्ष में भी एक भीड़ इकट्ठा करता है। परन्तु राही के पात्र बहुत हद तक इन लीगियों के कुचक्र में फंसने से बचते हैं। ये लोग भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति के बीच सामासिक संस्कृति को विकसित करते दिखाई देते हैं। गाँव के आम लोग पाकिस्तान को एक फरेब बताते हैं। फुनन मियाँ कहता है कि 'पाकिस्तान का निर्माण पेट भरने का खेल है।' राही इस बात को भलीभांति समझते थे इसीलिए उनके अधिकांश पात्र पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में नहीं दिखते हैं। शानी अपने उपन्यास में जिस परिवेश की बात करते हैं वह परिवेश मुख्य धारा से बहुत कटा हुआ है परन्तु फिर भी वे आजादी के संघर्ष और विभाजन की त्रासदी से अपने पात्रों को मुक्त नहीं रख पाते हैं। उनका पात्र मोहसिन कांग्रेस के लिए काम करता है। यह बात अलग है कि उसे गाँव के लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। आजादी के बाद उसे ही दोयम दर्जे की नागरिकता प्रदान की जाती है। शानी अल्पसंख्यकों के इस दर्द से बहुत आहत थे, इसीलिए उनके पात्र भी वतनपरस्ती के कठिन सवालों से होकर गुजरते हैं। यह सवाल इतना कठिन और तीक्ष्ण है कि भारत के सभी अल्पसंख्यकों को उससे होकर ही गुजरना पड़ता है तथा पीड़ा सहना पड़ता है। इब्राहीम शरीफ़ भी विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए बिहार के बिहारी मुस्लिम समाज के माध्यम से समस्त भारत के मुसलमानों की त्रासदी बताता है। छाको ऐसा ही पात्र है जो विभाजन और उसके दंश को झेलता है। उसे अपने ही मुल्क में रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है।

इस अध्याय के तृतीय उपअध्याय में अशिक्षा एवं आर्थिक दुरावस्था पर बात की गयी है। स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। लगभग सभी मुस्लिम उपन्यासकारों ने इस विषय पर अपनी कलम चलाई है। राही मासूम रज़ा के 'आधा गाँव' में अशिक्षित पात्र मौजूद हैं। विशेषकर स्त्री पात्र शिक्षा से वंचित है। शिक्षा के अभाव में महिलाएँ बेरोजगार रह जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब है कि वह रोजगार के नाम पर मजदूर तक ही सीमित रह जाती हैं। शिक्षा के अभाव में इन्हें सम्मान जनक रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका एक कारण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होना भी है। दरअसल 'आधा गाँव' में जमींदारों की कथा कही गयी है जिनके यहाँ शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम नज़र आती है। परन्तु यह निम्न मध्यवर्ग की कहानी है जिसकी आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता से पहले अच्छी रहती है। इन उपन्यासों में देखा गया है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी उनके घरों में शिक्षित लोगों की संख्या अधिक थी। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनके घरों में शिक्षित व्यक्ति कम थे। 'छाको की वापसी' उपन्यास में भी अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। इस उपन्यास में कथा नायक निम्न मध्यवर्ग से आता है अतः वह शिक्षित है। उसके पापा भी शिक्षित थे। परन्तु छाको के पिता एक मामूली दर्जी हैं जिसके कारण छाको अशिक्षित रह जाता है। परिणामस्वरूप बेहद कम उम्र से ही उसे रोटी की तलाश में जुट जाना पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण ही उसे रोजगार की तलाश में देश-विदेश भटकना पड़ता है। रोटी तलाशने की इस मज़बूरी में उसे अपना वतन छोड़ना पड़ता है।

आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे बहुत कम स्कूल में दाखिल होते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित कमिटी गोपाल कृष्ण कमिटी ने सन् 1984 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें -"मुस्लिम बच्चों की प्राथमिक के स्तर पर नामांकन की दर 12.39 प्रतिशत थी, जबकि बाल-जनसंख्या 16.81 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों में ये संख्या 12.50 प्रतिशत थी जबकि

बाल-जनसंख्या 20 प्रतिशत थी। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 1 में भर्ती हुए 100 मुसलमान छात्रों में से 35 कक्षा 5 तक पहुँचते थे, यों छंट जाने वालों की दर 65 प्रतिशत थी।... बारहवीं कक्षा में पंजीकृत छात्रों में परीक्षा में बैठने वाले मुसलमान छात्र 2.49 प्रतिशत थे, लेकिन परीक्षाफल औसत से बहुत कम था। अनुसूचित जाति के छात्रों का अनुपात काफी बेहतर 6.75 प्रतिशत था। ग्रेजुएट स्तर पर परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम विद्यार्थी कुल संख्या के 6.21 प्रतिशत थे। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अंतिम परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की दर 9.11 प्रतिशत थी।...एम. बी. बी. एस और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में (बी. ई. में 3.4 प्रतिशत, एल. एल. बी में 5.36 प्रतिशत) यह प्रतिशत और भी कम था। 1982 की सिविल सर्विस परीक्षाओं में सफल 963 उम्मीदवारों में केवल 19 मुसलमान थे।" (बढ़ती दूरियां: गहराती दरार, रफीक जकारिया, पृष्ठ. 164)

शानी ने भी अशिक्षा और आर्थिक दुरावस्था जैसे मुद्दे को अपने उपन्यास में जगह दी है। रोशन फूफा के मरने के बाद फूफी का परिवार भयंकर आर्थिक संकट से गुजरता है। उसके पास बहू के इलाज हेतु भी पैसे नहीं होते हैं। कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद भी फूफी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु 'शबे बारात की फातिहा' त्योहार मनाती हैं। बब्बन फूफी की इस तैयारी को देखते हुए सोचता है कि इतनी गरीबी में भी फूफी ने मृत आत्माओं के लिए सारी चीजों का इंतजाम कैसे कर ली है? न जाने वह यह सब कैसे की होगी!

'अँधेरे के साथ' में इब्राहीम शरीफ़ ने एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी कही है जो दो वक्त की रोटी तक के लिए भी संघर्षरत है। पैसों की कमी की वजह से ही कथानायक के माता-पिता दोनों की मौत हो जाती है और इसी कारण वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस उपन्यास में भले ही कथानायक शिक्षित है परन्तु इसके बावजूद भी वह रोजगार विहीन है। धर्म के ठेकेदार उसे अपने मजहब तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। धार्मिकता, कट्टरता एवं साम्प्रदायिक विचार से प्रभावित होने के कारण उसे मंदिर के काम से भी निकाल दिया जाता है।

'आँखों की दहलीज' उपन्यास में भी मेहरुन्निसा परवेज़ ने जमीला जैसी स्त्री पात्र का चित्रण किया है जो धन के अभाव में अपने परिवार के पालन-पोषण हेतु नौकरी करती है। इस नौकरी के कारण ही जमशेद के साथ उसकी शादी नहीं हो पाती है। इसके साथ ही लेखिका ने 'बाँझ' समस्या को दिखाया है जिसमें तालिया नामक स्त्री मातृत्व को प्राप्त न करने की वजह से समाज में हाशिये का पात्र बनती है जिसके कारण उसे अनैतिक कदम भी उठाना पड़ता है।

चतुर्थ उपअध्याय में स्त्री-जीवन के प्रश्न पर बात की गयी है। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में स्त्री पात्रों का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। साहित्यकारों ने पितृसत्ता की व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा अन्य समाज की स्त्रियों से अधिक चिंताजनक दिखाई देती है। इस समाज में चार-चार शादी करने तक की छूट है जिसके कारण स्त्रियों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। राही ने अपने उपन्यासों में दिखाया है कि शायद ही ऐसा कोई मर्द है जो एकाधिक शादी नहीं करता है। किसी की बीवी को उठा ले आना आम बात है। उपन्यास में फुनन मियाँ दूसरे की पत्नी को अपने घर उठा लाता है और ताउम्र उसे अपने साथ रखता है। 'काला जल' में भी बब्बन के पिता का संबंध किसी गैर स्त्री से होने के कारण बब्बन की माँ परेशान रहती हैं, उसे मारा-पीटा जाता है।

मुसलमानों में तलाक की समस्या भी गंभीर समस्या है। थोड़ी-थोड़ी बात में ही इस समाज में बिना कानून के ही तलाक दे दी जाती है। 'आधा गाँव' उपन्यास में तलाक की इस समस्या को भी उठाया गया है। तलाक के बाद स्त्रियों की दशा दयनीय हो जाती है। इस तरह की समस्या का चित्रण उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में घरेलू हिंसा की शिकार स्त्रियों का चित्रण किया गया है। 'काला जल' उपन्यास में रशीदा के चाचा पालन-पोषण के आड़ में रशीदा का यौन-शोषण करता है जिसके कारण रशीदा आत्महत्या कर लेती है। छोटी फूफी का ससुर भी उस पर ललचाई हुई नज़र रखता है। रज्जू मियाँ अनाथ लड़की मालती को बचपन में अपने घर ले आता है और जब वह जवान होती है तब उसके साथ ही यौन-संबंध

स्थापित करता है। मालती गर्भवती हो जाने कारण घर से निकाल दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों में स्त्रियों की दशा सोचनीय एवं दयनीय है। इस समाज की स्त्रियाँ अनपढ़ होने के कारण पुरुषों की मनमानी का शिकार होती हैं। उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है न ही उसमें विरोधी स्वर ही आ पाया है। छिटपुट महिलाएं जो भी विरोध प्रकट करना चाहती हैं उन्हें मजहब का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। धार्मिक दबावों के कारण मुस्लिम महिलाएं पितृसत्तात्मकता से मुक्ति पाने में असमर्थ दिखाई देती हैं। राही ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसे स्कूल का रास्ता दिखाया है। 'आधा गाँव' में साईदा तमाम विरोधों के बावजूद भी अलीगढ़ पढ़ने जाती है। न सिर्फ पढ़ने जाती है बल्कि नौकरी करके अपने परिवार के दुःख के समय में मदद भी करती है। 'आँखों की दहलीज़' में शशि पढ़ी-लिखी महिला है जो डॉक्टर बनती है और अपना अस्पताल चलाती है। इस तरह इन रचनाकारों ने समाज के दकियानूसी विचारों के विपरित एक ऐसी स्त्री की परिकल्पना अपने साहित्य में की है जो आत्मनिर्भर है।

5. स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों में मुस्लिम समाज के अन्य प्रमुख विषय: इस अध्याय में मुस्लिम उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यासों का अध्ययन-विश्लेषण समाहित है जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समाज की जातिगत संरचना, वर्गीय दृष्टिकोण और भारतीयता एवं लोकतंत्र को केंद्र में रखकर लेखन कार्य किया गया है।

स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों द्वारा लिखे गए उपन्यासों में जातिगत समस्या पर विस्तार से लिखा गया है। लगभग सभी मुस्लिम उपन्यासकारों ने इस विषय पर अपनी कलम चलाई है। राही मासूम रज़ा के 'आधा गाँव' में जातीय आधार पर सामाजिक भेद-भाव को देखा जा सकता है। राही मासूम रज़ा जी ने अपने उपन्यासों में वर्ग विभाजन से लेकर स्त्री समस्या, आर्थिक, राजनीतिक आदि समस्याओं को उजागर किया है। इसके साथ ही जातिवाद की समस्या को भी उन्होंने उसी तल्ख़ सच्चाई के साथ उठाया है। जातीय भेदभाव की समस्या हिन्दू समाज की तरह

मुस्लिम समाज में भी व्याप्त है। मुस्लिम समाज में सैयद वर्ग को ऊँची जाति का दर्जा प्राप्त है। इस उपन्यास में राही ने सैयदों के साथ राकी, जुलाहे, नाइन जैसी छोटी जातियों के संबंधों और उनके परस्पर जातिगत भेदभाव को पूरे यथार्थ के साथ उजागर किया है। बदीउज़्ज़माँ के 'छाको की वापसी' उपन्यास में भी इसी तरह की मानसिकता देखी जा सकती है जिसमें खाजे बाबू के पिता जो कि सैयद खानदान के हैं वे खाजे बाबू को जुलाहे के लड़के छाको के साथ खेलने से मना करते हैं। छाको को इस बात से बहुत दुःख होता है कि बार-बार उसे नीच, कमीना कहा जाए। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह किसी 'अशराफ' के साथ नहीं खेलगा।

इस अध्याय के द्वितीय उपअध्याय में वर्गीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। भारत में मुख्यतः वर्ग आर्थिक आधार पर तीन भागों में विभक्त हुआ दिखलाई पड़ता है। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग। निम्न वर्ग का जीवन अभावग्रस्त ही रहता है जिसे जीवन के अनेक कष्टों को सहना पड़ता है। रोजी-रोटी के लिए नितांत कठोरतम संघर्ष करना पड़ता है। दिन भर मेहनत-मजदूरी करने के बावजूद भी भर पेट खाना मिल सके इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मध्य वर्ग को अमूमन दो भागों में बाँटकर देखा जाता है-निम्न मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग के लोगों का जीवन-संघर्ष अत्यंत दयनीय होता है। छोटी-छोटी जरूरतों व मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। उच्च-मध्य वर्ग के लोगों को भी संघर्ष करना पड़ता है परन्तु उनकी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। छोटी-छोटी चीजों की पूर्ति के लिए उन्हें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। इस वर्ग के लोगों का जीवन अभावग्रस्त नहीं होता है। यह वर्ग सुख-सुविधाओं का उपभोग करता है। ऐसे वर्गों की संख्या समाज में बहुत कम होती है। निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की संख्या समाज में अधिक होती है।

भारतीय समाज की वर्गीय-संरचना को समझना एक महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य है। इसे समझने के लिए जाति और वर्ग में अंतर को भी समझना आवश्यक है। जाति का संबन्ध जन्मगत

होता है वहीं वर्ग का सम्बन्ध अर्थ से है जिसे अर्जित किया जाता है। जाति बदली नहीं जा सकती है। जिस जाति, कुल में जिसका जन्म होता है वह उसी जाति अथवा वंश का हो जाता है परन्तु वर्ग कर्म पर आधारित होता है। वर्ग की सदस्यता कमाई जा सकती है। इसमें कोई भी अपनी वर्गीय स्थिति कर्म के अनुसार बदल सकता है। एक ही जाति में कई अलग-अलग वर्ग हो सकते हैं ठीक उसी तरह एक वर्ग के अन्दर अलग-अलग जातियाँ हो सकती हैं। भारतीय सामाजिक सन्दर्भ में वर्ग और जाति एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ मामलों में एक-दूसरे के काफी क़रीब हैं। भारत की सामाजिक संरचना को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो उच्च एवं मध्य वर्ग हैं उसमें निम्न जाति के लोग बहुत कम हैं अथवा नहीं के बराबर हैं। उदाहरणस्वरूप भारत में जिसे निम्न जाति कहा जाता है जैसे डोम, चमार, दुसाध, नाई, तेली, भर, माली, मल्लाह, जुलहा आदि वर्गीय दृष्टिकोण से भी निम्न वर्ग में ही आते हैं। इनका न वर्ण ऊँचा है न वर्ग। ध्यातव्य है कि जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसकी वर्गीय स्थिति अधिकांश निम्न वर्ग की ही रह जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि वर्ग और वर्ण दोनों एक-दूसरे को कई मायनों में प्रभावित करता है।

आजादी के बाद भूमि सुधार कानून के परिणामस्वरूप सन् 1950 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जमींदारों की जमीन पर काम कर रहे भूमिहीन किसानों को भूमि मिल गयी जिसके कारण जमींदारों की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गयी। राही मासूम रज़ा ने अपने उपन्यास 'आधा गाँव' में इसी वर्ग का चित्रण किया है। भले ही आजादी के बाद इस वर्ग की स्थिति ख़राब हुई हो लेकिन आजादी के पहले मुस्लिम जमींदार, जमींदारी प्रथा का लाभ उठा रहे थे और सर्वहारा वर्ग पर लगातार जुल्म ढा रहे थे। राही ने दिखाया है कि जो निम्न वर्ग के मजदूर थे उनकी स्थिति बदहाल थी। जमींदार वर्ग इन मजदूरों का शोषण करते थे और उन्हें प्रत्येक स्तर से शोषण का शिकार बनाते थे।

तृतीय उपअध्याय भारतीयता और लोकतंत्र पर केन्द्रित करके लिखा गया है। 'भारतीयता' एक ऐसी विचारधारा है जिसको देश की सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। एक ऐसा विचार जो भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का वाहक है। 'भारतीयता' का पर्याय 'राष्ट्रवाद' से भी माना जाता है। राष्ट्रवाद अर्थात एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना जो जाति, संस्कृति और भाषाई दृष्टिकोण से समान हो। 'राष्ट्रवाद' को समझने के लिए राष्ट्र को समझना जरूरी है। पूरी दुनिया का इतिहास देखने पर पता चलता है कि राष्ट्र के निर्माण के पीछे कई कारक सम्मिलित हैं। राष्ट्रों का निर्माण भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, नस्ल आदि के आधार पर हुआ है। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी राष्ट्र का निर्माण हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। बाँग्लादेश राष्ट्र का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। ध्यातव्य है कि राष्ट्र का आशय उस परिसीमा से है जिसमें एक जैसी संस्कृति, भाषा और जाति के लोग रहते हैं। आजादी मिलने के साथ ही भारतीय समाज इस एकरूपता के विपरित विविधता में एकता का अनुयायी रहा है। यही कारण है कि साहित्य में भी हमें इस विविधता की स्वीकारोक्ति दिखाई देती है।

6. स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों की भाषा एवं शिल्प: षष्ठम एवं अंतिम अध्याय का संबंध उपन्यासों की भाषा एवं शिल्प से है। स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों की भाषा सरल, सहज एवं स्थानीय रंग से रंगी हुई है। अधिकांश उपन्यास ग्रामीण परिवेश पर आधारित हैं जिसके कारण गाँवों की सहज-सरस भाषा यहाँ अभिव्यक्त हुई है। इन उपन्यासकारों की भाषा में हिन्दुस्तानी भाषा देखने को मिलती है। कथा के परिवेश के अनुसार स्थानीय बोलियों का सुन्दर इस्तेमाल हुआ है जिसमें मगही, भोजपुरी बहुतायत रूप में समाहित है। इसके अलावा उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्दों को भी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में लाया गया है।

इन उपन्यासकारों ने जिस दौर में उपन्यास लिखे वह साहित्यिक रूप से परिवर्तन का काल माना जाता है। 'नई कहानी' आंदोलन के बाद साहित्य में सहानुभूति और सहजानुभूति के आधार पर संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती दिखाई देती है। नये परिवेश की अभिव्यक्ति के कारण नयी भाषा और शिल्प की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यही कारण है कि इन उपन्यासकारों में विशेषकर राही जी, शानी जी एवं बदीउज़्ज़माँ जी अपने उपन्यासों में पारम्परिक शिल्प को त्यागकर नए शिल्प को प्रयोग में लाते दिखाई देते हैं। मेहरुन्निसा परवेज़ के उपन्यासों में पारम्परिक शिल्प नज़र आता है।

घोषणा

मैं पंकज कुमार सहनी एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत शोध-प्रबंध **"स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन (1947-1975)"**, हिंदी विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम के पीएच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत है। मेरे संज्ञान में इस शोध-सामग्री का उपयोग कहीं भी शोध-उपाधि के लिए नहीं किया गया है और न ही यह शोध-शीर्षक अन्यत्र शोधोपाधि का आधार बना है।

Declaration

I do hereby declare that the thesis title **"Swatantryottar muslim upanyaskaron ke upanyason ka aalochnatmak adhyyan (1947-1975)"** submitted by me to Tezpur University, Tezpur, Assam in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Hindi under the school of Humanities and Social sciences, is my own and that it has not been submitted to any other institution, including the University in any other form or published at any time before.

Pankaj Kumar Sahani

(पंकज कुमार सहनी)
हिंदी विभाग
तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
असम-784028

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पंकज कुमार सहनी, शोधार्थी, हिंदी विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम ने अपना शोध-प्रबंध "स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन (1947-1975)" मेरे पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में इस विश्वविद्यालय की पीएच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध शोधार्थी के मौलिक एवं स्वतंत्र कार्य का परिणाम है। मेरे संज्ञान में इस अनुसंधान-सामग्री का उपयोग आंशिक या पूर्ण रूप से अन्यत्र शोध की उपाधि हेतु नहीं किया गया है।

Certificate

This is to certify that the thesis entitled "Swatantryottar muslim upanyaskaron ke upanyason ka aalochnatmak adhyyan (1947-1975)" submitted to the School of Humanities and Social sciences, Tezpur University, Tezpur in partial fulfillment for the award of degree of the Doctor of philosophy in Hindi is a record of research work carried out by Pankaj Kumar Sahani under my supervision and guidance.

All help received by his from various sources have been duly acknowledged. No part of the thesis has been submitted elsewhere for the award of any other degree.

शोध-निर्देशक

DR. ANJU LATA
Associate Professor
Dept. of Hindi
Tezpur University
Napaam, Tezpur, Assam-7840

(डॉ. अंजु लता)
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ
तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम

आभार

इस शोध-प्रबंध का पूरा होना उन आँखों के स्वप्न का साकार होना है जो अब सदा के लिए बंद हो चुकी हैं। उनके बिना इस कार्य को करना मुश्किल था। मैं सर्वप्रथम उस स्व. पिता एवं बहन का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया एवं मेरी हर तरह से सहायता की। मैं उस परमपिता परमेश्वर का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे संघर्षपूर्ण जीवन को जीने की शक्ति एवं साहस प्रदान की। शोध-निर्देशक के रूप में डॉ. अंजु लता को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ जिनके होने मात्र से मेरे सारे कार्य सिद्ध होते चले गए। मेरे प्रति उनका विश्वास एवं स्नेह ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहजता से पूर्ण करने में मदद की। शोध-कार्य के दौरान समय-समय पर उनसे उचित मार्गदर्शन का लाभ मिलता रहा, वाद-विवाद एवं तार्किक संवाद ने हमेशा मुझे सोचने-समझने के नए राह सुझाते रहें। शोध-प्रबन्ध लेखन के दौरान जब भी किसी बिंदु पर ठहराव महसूस किया उस समय उन्होंने अपनी गहरी सूझ-बुझ से मुझे गतिशीलता प्रदान की। विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद मीणा, विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. सूर्यकान्त त्रिपाठी तथा विभाग के अन्य प्राध्यापकों के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर सारगर्भित सलाह देकर मुझे और संबल बनाया। मैं अपने स्कूल गाँधी आश्रम विद्यालय के अध्यापकों के प्रति भी नतमस्तक हूँ जिन्होंने मेरे अन्दर ज्ञान का बीज बोया साथ ही मैं स्नातक के दिनों में उचित मार्गदर्शन करने वाले गुरुवर कृष्णकांत झा, रुनु देवी, शिल्पिका अधिकारी, दिनेश प्रसाद, एवं अर्पिता सेन के प्रति भी श्रद्धावान हूँ। मैं विशेष रूप से हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत आदरणीय अनन्त कुमार नाथ सर का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हिंदी विभाग एवं हम सभी को सुदृढ़ किया|

मैं केन्द्रीय पुस्तकालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के अध्यक्षों का आभारी हूँ जिन्होंने शोध-विषय से संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को उपलब्ध कराने में मेरी मदद की।

शोध-कार्य के दौरान जीवन में कई उतार-चढ़ाव भरे पल आए। इस क्रम में पिता और बहन का निधन मुझे अन्दर तक तोड़ चुका था। ऐसे समय में मेरे आत्मिक परिजन मौसा हरी सहनी, मौसी धर्मशीला सहनी, शिवम, सूरज, सुजीत, अभिनन्दन, खुशबू, ज्योति एवं अन्य परिजनों ने मुझे आत्मिक बल प्रदान किया। चारू गोयल एवं अनुशब्द सर के प्रति भी समर्पित हूँ जिन्होंने मुझे अपनत्व प्रदान किया। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके साथ ने मुझे कार्य करने की उर्जा एवं साहस प्रदान की।

इस शोध-कार्य के दौरान मिले मित्रों का संसर्ग उस संजीवनी बूटी के समान था जिसके बिना इस जीवन को समान्य ढंग से जीना मुश्किल था। शोध-कार्य के दौरान कई बार अकेलापन महसूस होता था ऐसे में मित्र हेमंत, पंचराज, सौरभ भईया, पुष्पामणि, मौसुमी एवं कस्मिना ने तनावमुक्त रखा एवं कार्य करने के लिए उत्साह प्रदान किया। मैं इन सभी का ह्रदय से आभारी रहूँगा। मैं अपने हॉस्टल के सभी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके होने से ही यहाँ रहना एवं खाना संभव हो पाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान किये गए फ़ेलोशिप के लिए आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद

पंकज कुमार सहनी